अध्याय - प्रथम

शोध परिचय

अध्याय – प्रथम

शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 अनुसूचित जन–जातियों

1.3 पिछड़े वर्ग का अर्थ एवं स्वरूप

1.4 पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों की शिक्षा

1.5 अनुसूचिज जान–जातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

1.6 व्यवसायिकरण

1.7 व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न कमीशन एवं आयोग

1.8 व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत

1.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य

1.10 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

1.11 समस्या कथन

1.12 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1.13 उद्देश्य

1.14 परिकल्पना

1.15 सीमांकन

अध्याय – प्रथम
शोध विषय का परिचय

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लोगों कि संख्या अधिक है और वे राज्य के सारे क्षेत्र में बिखरे हुए है। उनके शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक प्रावधान किए है और ऐसी व्यवस्था कि है कि हर स्तर पर शिक्षा कि सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्राचीन काल से ही ये जन जातियाँ सुविधाओं से वंचित रही है और यही इनके पिछड़ेपन का कारण भी है।

प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आदिवासी जनजाति के लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नही था और यह उनके पिछड़ेपन का भी एक बड़ा कारण है। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत में एकलव्य के उदाहरण को इसे भलीभाँति समझा जा सकता है।

वन क्षेत्र इनका मुख्यतः निवास होता था और ये जनजातियाँ आज भी शहरों से दूर आधुनिकता कि चकाचौंध से दूर वनों के करीब ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसीजिए रिजले और ठक्कर बाबा मार्च 1964 में इन्हें 'वन्यजाति' कहा। इनकी दिनचर्या आज भी प्राचीन संस्कृति पर आधारित है अतः भोजन मे मांसाहार करना इन जनजातियों के लिए सामान्य बात है कई जनजातियाँ जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन का प्रबंध करती है।

मध्यप्रदेश में 53 अनु. जनजातियों को 90–91 में स्वीकार किया गया। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुख्यतः गोंड कोरकू जनजातियाँ सबसे अधिक है। प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, बालाघाट और बस्तर के क्षेत्र में प्रमुख है इनमें आधे से अधिक जनजातियों में गोंड लोगों कि जनसंख्या पायी जाती है। ये जनजातियाँ प्रकृति की कोख में किसी पहाड़ पर या नदी के पास रहना पसंद करती है। यह जनजाति सड़क से दूर जंगलों में दूर बसे होते है। प्राकृतिक जीवन उनका आदर्श जीवन है।

1.2 अनुसूचित जन जातियाँ

पहाडी तथा जंगली क्षेत्र में निवास करने वाली जातियाँ, आदिम जातियों की श्रेणी में उगती है इसके अन्तर्गत भील, मीण, संथाल आदि जातियां सम्मिलित की जाती हैं इनकी संख्या भारत में लगभग 4 से 5 करोड़ के मध्य मानी जाती है। ये भी शताब्दिदों से शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित रही है। इसके लिए सामाजिक आर्भिक एवं भौगोलिक कारण उत्तर-दायी माने जा सकते है। इनके कलए भी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक है। ताकि ये नवीन विश्व के सम्पर्क में आ सके तथा अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सके । इसके लिए उनके क्षेत्र में विद्यालय स्थापना की जाए। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्थाओ तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं निः शुल्क उपलब्ध कराई जाए। इन्हें शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जाना चाहिए सरकार के इस दिशा की ओर उचित कदम भी उठाएं है।

पिछड़े वर्ग की शिक्षा समस्याएंः-

1. उच्च वर्ग का निम्न वर्ग के प्रति अमानवीय व्यवहार ।
2. अशिक्षा का साम्राज्य
3. अभिभावकों की दयनीय आर्थिक स्थिति
4. भौगोलिक रूढ़िया।
5. स्थायी पन का अभाव

1.3 पिछडें वर्ग का अर्थ एवं स्वरूप : [1]

भारत के संविधान की एक विशेषता उसका विस्तृत तथा लिखित होना है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के अन्तर्गत धारा 341 तथा 342 में अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति की बात कही है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जातियां आदिम जातिया, घुमक्कड खानादेश आदि जातियां आती है। इसके साथ अलग - अलग राज्यों में उनके मानदण्ड के अनुसार कुछ विशेष जातियॉ पिछड़ें वर्ग में सम्मिलित की जाती है। पिछड़ें वर्ग में अधिकतर वे समुदाय व जातियाँ जो शताब्दियों से समाज द्वारा उपेक्षित रही है तथा जिन्हें निम्न समझाा जाता है। अर्थात जिनसे अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता है।

[1] मधुसुधन त्रिपाठी 2007 आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा

अनुसूचित जनजातियों के विशेषताएँ :- [2]

- आदिवासी अनेक परिवारों या परिवारों समूह का संकलन है।
- इनका एक सामान्य नाम होता है।
- यह निश्चित भू-भाग पर निवास करते है।
- जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है। जिससे विचारो का आदान प्रदान और पारंपरिक एकता हो सकती है।
- आदिवासी समुदाय के सदस्यों में पारंपरिक आदान-प्रदान में कुछ सामान्य नियम और निषेध होते है।

अनुसूचित जनजाति मध्यप्रदेश के विशाल जन समुदाय की एक इकाई है। इसका सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन स्तर निम्न कोटि का है।

1.4 पिछडे वर्ग तथा आदिवासियों की शिक्षा :- [3]

इस क्षेत्र में सर्वप्रामि हन्टर आयोग ने अपने विचार व्यक्त किये थे और इस क्षेत्र में केन्द्र को उत्त दायित्व निभाने का सुझाव दिया था।

इसके लिए निम्न सुझाव दिए गए थे'-

1. पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्यक्रम आज चलाए जा रहे है उनका विस्तार किया जाए
2. खानाबदोश एवं आदिम जातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रम अपनाएं जाये।
3. माध्यमिक स्तर पर इनके बच्चों को छात्रावास की सुविधा एवं छात्र वृत्तियां प्रदान की जाये।
4. आदिवासियों के बच्चों को तसरी कक्षा तक क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जाए।
5. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र वृत्ति कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण एवं उनका विकास किया जाए।
6. माध्यमिक व उच्च स्तर पर विशेष सुविधाए प्रदान कराई जाए।
7. उन पढे लिखे लोगों का लाभ उठाया जाए जो इन क्षेत्र के हो । इससे तीन लाभ होंगे।

---

[2] सूर्या वर्मा 2010 बेगा जनजाति की शिक्षा में आनेवाली कठिनाईयाँ एक अध्ययन। (क्षे.शि.सं., भोपाल)

[3] मधुसुधन त्रिपाठी 2007 आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा

1. गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
2. अधिकारियों हेतु नये पद स्थापित होंगे तथा
3. इन जन–जातियों व क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों का उपयोग होगा।

देखने में लगता है कि विथीन्न राजयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता नहीं है। इस प्रकार की असमानता को दूर करने के कार्यक्रम के साथ–साथ शैक्षिक एक रूपता व समानता का काय्रक्रम चलाया जाये। निम्न आधार पर यदि कार्यक्रम किया जाए तो इसमें सफलता प्राप्त होगीः–

1. शैक्षिक असमानताओं को यदि हम चाहे कि जड़ से मिटा दे तो यह सम्भव नहीं होगा। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों को चलाया जाये जिसके द्वारा इन क्षेत्रों को विकसित किया जाये जो अविकसित है या अर्ध विकसित है।
2. शिक्षा प्रसार कार्यक्रम जिला स्तर से ही प्रारंभ किया जाए और इसे प्रारंभ की इकाई माना जाये।
3. राष्ट्रीय स्तर पर यह केन्द्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विभिन्न राज्यों में शिक्षा संबंधी असमानता को दूर करने का प्रयत्न कर इस हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित करें।

आदिवासी प्रारंभ से ही दूरस्थ एवं निर्जन स्थानों पर निवास करते है। आदिवासी पर शहरी सभ्यता एवं विकास का बहुत कम सार्थक प्रभाव पड़ता है। आदिवासी में पिछड़ेपन का मुख्य कारण उनकी शिक्षा है। इन जनजाति का विकास करने के हेतु में आदिवासी शिक्षा के लिए प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी शालाएँ तथा पूर्व माध्यमिक छात्रावास मैट्रिकोत्तर छात्रावास तथा आश्रम शालाएँ खोली गई। इनके अलावा आदिवासी विद्यार्थी को छात्रवृत्तों देने की भी व्यवस्था शासन स्तर पर की गई है।

मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ गोंड भील, मीणा, मुण्डा, कोरकू, आदि बाहुल्य जनसंख्या वाली जनजातियाँ निवास करती है। लेकिन कुछ जगहों पर अल्पसंख्यक जनजातियाँ निवासी करती है जैसे सौम्या, ओन्जई इत्यादि भारत में जनजातियों के लोग अन्य समुदाय के लोगों

कि तुलना में काफी पिछड़े है। विश्व में जनजातियों के वितरण के अनुसार आफ्रीका में सर्वाधिक आदिवासी जनजातियाँ निवास करती है।

1.5 अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान :– [4]

भारतीय संविधान की धारा 366 में आदिवासी को परिभाषित किया है। और इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29(1), 30, 46, 276, 350, 332, 335, 338, 340 में जनजाति के हितों की पूर्णरूपेण सुरक्षा का प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 342 (1) में आदिवासी समुदाय के लिए सावधानी से उन्नति करने एवं सब प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 14: भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी करता है।

अनुच्छेद 15: धर्म मूलवंश जाति या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का प्रतिबंध करता है। यह राजय को सामाजिक शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए अनु. जनजातियों कि उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने में बाधक न हो।

अनुच्छेद 16: अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी के लिए अवसर कि समानता के लिए अनुशंसा करता है और उासके संबंध में धर्म मूलवंश जाति जन्म स्थल और निवास के आधार पर भेदभाव करना वर्जित है। किंतु राज्य उक्त वर्गो के व्यक्तियों के लिए यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिला तो पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो सकता है।

अनुछेच्द 17: भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक कलंक है। अनुच्छेद 17 उसका निर्मूलन करता है।

अनुच्छेद 19: इस अनुच्छेद के आधार पर इन जनजातियों के सुरक्षा के लिए खण्ड (घ)(ई) अधिसूचित किया है। तभी से यह अनुसूचित 1956 मतें राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपरोक्त सूची का सुधार किया 1956 के अंतर्गत संशोधित की गयी। यह आदेश 1976 में पुनः संशोधित किया गया इसको व्यापक बनाकर पूरे राज्य में अधिसूचित किया गया। लेकिन कुछ इसके बावजूद भी क्षेत्र के आधार पर अधिसूचित है। उदाहरणार्थ कीर, पारधी

---

[4] डॉ. डी शर्मा 2005 पेज नं. 246–249, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास

जनजातियों जो सिर्फ भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले में अधिसूचित थी यह 1976 में संशोधन के उपरांत भी यथावत है।

Table 1.1 [55]

Level of Education Among the Majan Schedual Tribal in India.

Name of ST's	Litrate without Educational level	Below Primary	Education Level attained				
			Primary	Middle	Matri/Sec./ Intermidiate	Tech. No. Tech. Diploma	Graduate and Above
All	10.8	45.5	24.8	9.7	6.6	0.1	1.4
Bhil	15.5	47.1	21.2	8.2	6.3	0.1	1.6
Gond	8.4	15.0	27.4	10.9	7.0	0.1	1.2
Kol	7.2	47.1	26.9	11.4	6.6	0.0	0.6
Korku	10.1	56.0	22.9	6.8	3.6	0.0	0.5
Bhariya	15.4	62.2	16.1	4.0	1.8	0.1	0.5
Baiga	11.4	50.4	26.0	8.3	3.4	0.0	0.5

1.6 व्यवसायीकरणः- (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986) [6]

1. प्रस्तावित पुनर्गठन में पद्धतिवार सुनियोजित और व्यापक रूप में कार्यान्वित व्यवसायिक शिक्षा की शुरूआत करना महत्वपूर्ण है। ये तत्व अलग-अलग व्यक्तियों कि रोजगार क्षमता को बढ़ाने दक्षता प्राप्त जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असतुलन को कम करने और उन लोगों के लिए जो किसी खास प्रयोजन के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है, के लिए विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार किए गए है।
2. व्यवसायिक शिक्षा एक भिन्न धारा होगी जिसका आशय छात्रों को उनके निर्धारित व्यवसायों के लिए तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम सामान्यतः माध्यमिक स्तर के बाद उपलब्ध किए जायेगे लेकिन योजना में कुछ लचक देते हुए इसे कक्षा-8 के बाद भी लागू किया जा सकता है। व्यवसायिक शिक्षा को बेहतर रूप से समेकित करने

[5] सूर्या वर्मा 2010 बेगा जनजाति की शिक्षा में आनेवाली कठिनाईयों एक अध्ययन। (क्षे.शि.सं., भोपाल)

[6] National Policy on Education P. No. 13,14

की दृष्टि से उनकी सुविधाओं सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बड़े पैमाने पर व्यवसायिक ढ़ाचे के अनुरूप बनाना होगा।

3. स्वास्थ्य आयोजना और स्वास्थ्य सेवा प्रबंध को स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य जनशक्ति की उपयुक्त श्रेणियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरीय पर स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्धता को सुनिश्चित करेगी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के +2 स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित व्यवासयिक पाठ्यक्रामें कि ओर अग्रसर होना कृषि विपणन और सामाजिक सेवाओं आदि पर आधारित ऐसे ही व्यवासयिक पाठ्यक्रम तैयार करने के प्रयास किए जायेगे। व्यवसायिक शिक्षा में स्वरोजगार, उद्यमियों के लिए दक्षता और ज्ञान तथा रुझाान के विकास पर जोर दिया जाएगा।

4. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों या संस्थाओं की स्पापना सरकार तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों की होगी तथापि सरकार महिलाओ, ग्रामीण तथा जनजाति के क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गो की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशेष कदम उठाएगी विकलांगों के लिए भी समुचित कार्यक्रम शुरू किए जायेगे।

5. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकों को पूर्व निर्धारित शर्तो के अंतर्गत समुचित सेतु पाठ्यक्रमों के माध्यम से सामान्य तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा।

6. अनौपचारिक लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यवसायिक कार्यक्रम भी नवसिखिओं, युवकों जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, स्कूल छोड़ गए है किसी कार्य में लगे हुए हैं और बेरोजगार है या वे व्यक्ति जो आंशिक रूप में रोजगारमुक्त हैं, के लिए उपलब्ध किए जायेगे। इस संबंध में महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश की दरिद्रता को दूर करने के लिए टैगोर ने व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया है। उन्होनें बताया कि हमारे दशे की अधिकतर जनता गांवों में निवास करती है और कृषि तथा लघु

उद्योग धंधों पर निर्भर करती है। इसलिए सबसे पहले हमें इस शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल उस युग में टैगोर ने ही दिया। विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था को भी वे आवश्यक समझते थे।

1.7 व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न कमिशन एवं आयोगः–

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की विकराल समस्या को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। व्यवसायिक शिक्षा को पिछली शताब्दी से ही महत्व दिया जा रहा है। विभिन्न शिक्षा आयोगों ने व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में समय–समय पर अपनी राय व्यक्त की है।

1. **वुडस डिस्पैच (1954)**[7] के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी होना चाहिए।
2. **हन्टर कमीशन (1882)**[7] ने व्यवसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया।
3. **हर्टाग सिमिति (1929)**[7] बहुउद्देशीय शिक्षा की पक्षधर थी। ताकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद औद्योगिक और व्यवसायिक जीवन पद्धति को अधिक से अधिक अपनाए।
4. **सप्रू समिति (1934)**[7] का मत था कि छात्र 11 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के उपरांत व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करे।
5. **एवड़ बुड रिपोर्ट (1936–37)**[7] का विचार था कि सामान्य शिक्षा के समान ही विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए।
6. **सार्जेंट रिपोर्ट (1944)**[7] ने अनुशंसा की थी कि पूर्णकालिक और अंशकालिक विद्यार्थियों के लिए 1. तकनीकी 2. व्यवसायिक और 3. कला–तीन प्रकार की शिक्षा हो।

---

[7] मधुसुधन त्रिपाठी आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा पेज नं. (128–129)

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अनुसार दसवीं कक्षा के उपरांत इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए ताकि छात्रों को व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

7. **सेकेण्डरी एजूकेशन कमीशन (1952-53)** ने व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
8. **शिक्षा-आयोग (1964-66)** ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अधिकांश नौकरियों के लिए विश्वविद्यालयीन डिग्री अनिवार्य नहीं है, ऐसे अनेक काम तो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त स्नातकों द्वारा कुशलतापूर्वक सम्पन्न किए जा सकते है। लगभग 50 प्रतिशत छात्र तो हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़कर बिना किसी व्यवासयिक कुशलता के रोजी-रोटी की कमाई में लग जाते है। इस प्रकार के छात्रों को सार्थक शिक्षा के रूप में कार्यानुभव ग्रहण करना अनिवार्य होना चाहिए।
9. **शिक्षा नीति (1968)** ने +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता को प्रतिपादित किया।
10. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** ने व्यवसायिक शिक्षा कि आवश्यक उपयोगिता और महत्व को स्वीकार किया है तथा इसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 1990 तक 10 प्रतिशत तथा 1995 तक 25 प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की ओर मोड़ना था।

1.8 व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में विभिनन विद्वानों के मत

व्यवसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने निम्न मत प्रस्तुत किए।

शिक्षा समाज में संस्थागत इसलिए बनाया गया है ताकि व्यवहार के विकास को बढ़ा सके। समाज में कई संस्थाओं के शैक्षिक कार्य है। पर शिक्षण संस्था समाज के साधन के रूप में ज्ञान का उपयोग करके इसके सदस्यों के विकास को आगे बढ़ती है। [8]

- **Fitzgenald (1970)**

[8] Fitzgenald (1970) A Study Developmental Point of View of Education

मानव प्रतिभा देश का महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका संरक्षण एवं विकास प्रत्येक के लिए प्राथमिक कार्य होना चाहिए। जन मानव प्रतिभा व्यर्थ जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उससे वंचित होता है और जब यह सही प्रकार से विकसित होती है तो प्रत्येक को लाभ होता है। [9]

- Herritott (1963)

विकास के ढ़ाचे में व्यवसायिक चयन व्यक्ति का एक अकेला कार्य नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन कि विभिन्न व्यवहारों को शामिल करती है। [10]

- Crites (1961)

एक निश्चित समय में प्रत्येक बालक के संबंध में भावी शिक्षा–श्रम से संबंधित रहेगी तथा खेलकूद सामाजिक उत्पादन की विधि न होकर पूर्ण विकसित मानव के निर्माण का साधन बनेगा। [11]

- **Konl Marks**

महात्मा गांधी (1937) ने शिक्षा को व्यवसायीन्मुखी बनाने की भरसक चेष्ठा एवं अपील की ग्रामोन्मुखी बनाने की ओर जोर दिय उन्होंने कहा उत्पादन कार्य को पाठ्यक्रम में रखने की बजाय शिक्षा को उद्योग केन्द्रित बनाया जाए 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें निम्नलिखित प्रस्ताव धारित किए गए।

1. देश के प्रत्येक बालक को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने कि व्यवस्था की जाए।
2. शिक्षा किसी उत्पादक कार्य के माध्यम से प्रदान की जाए। पाठ्यक्रय के समस्त विषय उत्पादक हस्तकला को केन्द्र मानकर पढ़ाया जाए। प्रदान की जानेवाली शिक्षा बालक के वातावरण से संबंधित हो।

1.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं भारत सरकार के दृष्टिकोण से शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. ग्रामीण विकास बेरोजगारी और अभाव ग्रस्तता दूर करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति करना।

---

[9] Herritopp (1963) Some Special Determinates of Educational Aspiration
[10] Crites (1961) A Model in the Measerment of Vocational Maturity
[11] ओम प्रकाश गोविंदराव सोनकुले (1995) +2 स्तर के वाणिज्य समूह के छात्र–छात्राओं के व्यवसायिक अभिज्ञान का अध्ययन। (क्षे.शि.सं., भोपाल)

1.10 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :-

भारत में आज व्यवसायिक शिक्षा की आर्थिक आवश्यकता का प्रमुख कारण यह है कि तीव्रगति से हो रहे तकनीकी परिवर्तनों ने मानवीय संसाधनों की मांग की दिशा को ही बदल दिया है। परिवहन एवं संचार माध्यमों की आश्चर्यजनक प्रगति के कारण किसी भी तरह के परिर्वतन से विश्व का समूचा भाग अल्पावधि में ही प्रभावित हो जाता है। बढ़ती स्वचलित उत्पादन प्रक्रिया से जहाँ श्रमिकों की मांग घटी है वहीं परिवर्तित तकनीकी परिदृश्य के कारण नियोक्ता श्रेष्ठ उत्पादन हेतु पूर्व प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग करने लगे है। अर्थव्यवस्था में कृषि व्यवस्था का योगदान घटकर लगभग 17 प्रतिशत हो गया है।

ऐसे परिदृश्य में आदिवासी छात्रों को जो बहुत समय से आधुनिकता एवं वर्तमान परिदृश्य से अछूते रहे है उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने कि आवश्यकता है तथा हमें यह भी देखना चाहिए कि इनके विकास के लिए जो योजना बनाई जा रही है या जो प्रयास किए जो रहे है कहा तक कारगार साबित हो रहे है तथा सामान्य छात्रों के अनुरूप इनका विकास सामान्य रूप से हो पा रहा है या नहीं ?

आदिवासी छात्रों के विकास मुख्य रूप से बाधक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं अशिक्षा को माना जाता है जिससे वे समान्यतः व्यवसायिक क्षेत्र में भी सामान्य छात्रों के अनुरूप अपना योगदान नहीं दे पाते है।

कृषि के यंत्रीकरण में वृद्धि अकुशल, अप्रशिक्षित श्रमिकों को नकार दिया गया है। फलतः ग्रामीणों का पलायन शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ अपराध में वृद्धि जैसी समस्याएँ बढ़ी है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बिंदु को ओर अधिक स्पष्ट किया है। इस नीति के अनुरूप यह लक्ष्य रखा गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर देश के 10 प्रतिशत छात्र 1990 तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाए एवं 1995 तक 25 प्रतिश छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रय में आ जाए। व्यवसायिक शिक्षा का वृहद स्तर पर प्रसार कर इसकी महत्ता पूरे देश में इस शिक्षा व्यवस्था के लिए सम्पादित गतिविधियों से लोगों को अवगत करना है तथा राष्ट्रीय सतर से लेकर स्कूल स्तर तक के समस्त अभिकरणों के

बीच बेहतर संवाद की व्यवस्था कायम करना है। ताकि शिक्षित युवा आदिवासी इतने सक्षम हो सके कि वे न सिर्फ अपनी व्यवसायिक योग्यता का समुचित उपयोग करे बल्कि आज के बदलते परिवेश में स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास करे और राष्ट्र के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे।

1.11 समस्या कथन :–

आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक आकांक्षा एवं व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन।

1.12 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध सम्पन्न करने में विशिष्ट तकनीकी शब्दों एवं शोध यंत्रों का उपयोग किया जाता है सामान्यतः अधिकांश पाठक आसीन से समझ नहीं पाते अतः शोधकार्य का लाभ सामान्य पाठकों तक पहुँचाने के लिए शोध अंशों को आसानी से समझने के लिए आवश्यक है कि कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण किया जाए।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जा रहा है।

1. आदिवासी

आदिवासी से आशय है जिन लोगों का रहन–सहन एवं रीति रिवाज आज भी आदिम प्रकार का है इन्हें जनजाति भी कहा जाता है।

मजुमदार (1962) ने जनजाति को कुछ परिवारों का समूह कहा है जो एक निश्चित भू–भाग में निवास करता हैं एक भाषा बोलता है, परस्पर शादी विवाह करता है एक व्यवसाय अपनाए हुए है और व्यवस्था रखने के लिए एक मान्य चिन्ह स्थिर किए हुए है।

2. शैक्षिक आकांक्षा :–

शैक्षिक आकांक्षा से आशय व्यक्ति के शैक्षिक लक्ष्य से है अर्थात शैक्षिक आकांक्षा व्यक्ति की शिक्षा को उसके लक्ष्य से जोड़ती है अर्थात् किसी व्यक्ति के शिखित होने को सार्थक अथवा अर्थपूर्ण रूप प्रदान करती है।

बेल्सटन डिक्शनरी ने आकंक्षा को प्राप्ति की दृढ़ इच्छा के रूप में परिभाषित किया है।

फेंक के अनुसार आकांक्षा स्वर व्यक्ति द्वारा किसी कार्य में भविष्य के स्तर की, उसी कार्य के पिछले स्तर के ज्ञान पर प्राप्ति की स्पष्ट घोषणा है।

व्यवसाय :-

व्यवसाय को विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया

1. आर्थन शुल्ज -

व्यवसाय वह विशिष्ट क्रिया है जिसका बाजार मूल्य है, जिसे लोग लगातार आय प्राप्त करने के लिए करते है। यह क्रिया व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी निर्धारण करती है।

2. केराल एल. शार्टले -

विभिन्न संस्थानों में पाए जोने वाले समान नौकरियों के समूह को व्यवसाय कहते है।

सामाजिक आर्थिक स्थिति-

सामाजिक आर्थिक स्थिति से आशय है सामाजिक परिवेश में व्यक्ति का महत्व एवं आर्थिक सम्पन्नता।

1.13 उद्देश्य –

1. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों कि शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्च मध्यम एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक आकांक्षा तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की व्यवासयिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. उच्च, मध्यम एवं निम्न सामाजिक स्तर के छात्रों की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययना करना।
8. बालक एवं बालिकाओं की व्यवसायिक रूचि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.14 परिकल्पना :-

1. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों कि शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं है।
2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं है।
3. छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक आकांक्षा में सार्थक अंतर नहीं है।
4. आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नहीं है।
5. शहरी एवं ग्रामीण छात्रों की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नहीं है।
6. छात्र एवं छात्राओं की व्यवसायिक रूचि में सार्थक अंतर नहीं है।
7. ग्रामीण आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।
8. शहरी आदिवासी एवं गैर आदिवासी छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं है।

1.15 सीमांकन :-

1. प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश राज्य के बैतूल जिले तक सीमित है।
2. इस अध्ययन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को ही शामिल किया गया है।
3. इस अध्ययन ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 146 छात्रों को ही शामिल किया गया है। जिसमें 68 आदिवासी तथा 78 गैर आदिवसी छात्र है।
4. इस अध्ययन में 74 बालक एवं 72 बालिकाओं की तथा 59 शहरी एवं 87 ग्रामीण छात्रों को लिया गया है।